



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-1

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261565 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vinod Kumar Sharma S/o KANHAIYA LAL SHARMA	कुमारी ऋचा शर्मा पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा	D10	200.00 SQ. YARD	Private	GREEN CAMPUS	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा निजी खातेदारी की योजना ग्रीन कैम्पस के भूखण्ड संख्या डी-10 क्षेत्रफल 200 वर्ग मी का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 19 दिनांक 13.08.2009 के द्वारा कुमारी ऋचा शर्मा पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम जारी किया गया था। लीजधारक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कुमारी ऋचा
शर्मा पुत्री श्री
सत्यनारायण
शर्मा द्वारा
आवेदित भूखण्ड
को पंजीकृत
विक्रय पत्र
दिनांक
23.09.2009 के
माध्यम से श्री
राजीव त्यागी
पुत्र श्री डी0के0
त्यागी को
विक्रय किया
गया है।
तत्पश्चात श्री
राजीव त्यागी
द्वारा आवेदित
भूखण्ड को
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
24.02.2025 के
माध्यम से श्री
विनोद कुमार
शर्मा पुत्र श्री
कन्हैया लाल
शर्मा को विक्रय
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vinod Kumar Sharma S/o KANHAIYA LAL SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।